



उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद

U.P. Council of Agricultural Research

अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010

8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010

पत्रांक: 466/एनआरएम/डब्ल्यूबीएसएलएएजी/पीएल/2021

दिनांक: 18.07.2024

दिनांक : 18 जुलाई, 2024

समय : 12:00 बजे

स्थान : उपकार सभाकक्ष

उपस्थिति : संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2024-25 की ग्यारहवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियाँ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2024-25 की ग्यारहवीं बैठक श्री पीयूष कुमार शर्मा, सचिव, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 18 जुलाई, 2024 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक; कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के मौसम वैज्ञानिक तथा व्हीट ब्रीडर व पादप रोग वैज्ञानिक; आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के राईस ब्रीडर व मौसम वैज्ञानिक; कृषि विभाग; पशुपालन विभाग; मत्स्य विभाग; रेशम विभाग; उद्यान विभाग तथा परिषद के अधिकारियों/वैज्ञानिकों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक; बांदा, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के मौसम वैज्ञानिक व कीट वैज्ञानिक ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

मौसम पूर्वानुमान (19 से 25 जुलाई, 2024)

- भारत मौसम विज्ञान विभाग से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 21 जुलाई से मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से इस सप्ताह के दौरान बुन्देलखण्ड एवं दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के अधिकांश कृषि जलवायु अंचलों में औसत वर्षा सामान्य से अधिक जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य से कम रहने की संभावना है।
- प्रदेश के उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग, पूर्वी मैदानी एवं विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा मध्य मैदानी का पूर्वी भाग में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से अधिक रहने की संभावना है।
- प्रदेश के भाबर तराई क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

मानसून ऋतु (01 जून से 18 जुलाई, 2024) के दौरान उत्तर प्रदेश में 247.8 मि.मी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष कुल 244.6 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो सामान्य से 1 प्रतिशत कम है। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में 274.4 मि.मी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 6 प्रतिशत कम कुल 258.6 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 210.4 मि.मी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 7 प्रतिशत अधिक कुल 224.5 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई। मानसून ऋतु के दौरान अभी तक प्रदेश के बस्ती जनपद में सर्वाधिक 643.9 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

कृषि विभाग से दिनांक 15 जुलाई, 2024 तक प्राप्त आच्छादन आंकड़ों के अनुसार कुल खरीफ फसलों के लिये निर्धारित लक्ष्य 102.05 लाख हे. के सापेक्ष 54.49 लाख हे. की बुवाई की जा चुकी है जो लक्ष्य का 53.40 प्रतिशत है। अब तक धान की नर्सरी लक्ष्य 4.08 लाख हे. के सापेक्ष 4.05 लाख हे. में डाली जा चुकी है जो लक्ष्य का 99.27 प्रतिशत है। धान के लक्ष्य 61.24 लाख हे. के सापेक्ष 35.71 लाख हे. की पूर्ति की जा चुकी है जो लक्ष्य का 58.31 प्रतिशत है, मक्का फसल लक्ष्य 8.81 लाख हे. के सापेक्ष 5.57 लाख हे. की बुवाई, ज्वार में 2.99 लाख हे. के सापेक्ष 1.29 लाख हे. की बुवाई, बाजरे के लक्ष्य 10.61 लाख हे. के सापेक्ष 2.58 लाख हे., अरहर लक्ष्य 3.68 लाख हे. के सापेक्ष 1.39 लाख हे., उर्द के लक्ष्य 7.57 लाख हे. के सापेक्ष 3.73 लाख हे., मूंग लक्ष्य 0.50 लाख हे. के सापेक्ष 0.25 लाख हे., मूंगफली लक्ष्य 1.32 लाख हे. के सापेक्ष 1.90 लाख हे. तथा तिल लक्ष्य 4.25 लाख हे. के सापेक्ष 1.53 लाख हे. की बुवाई की जा चुकी है।

प्रदेश में मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले सप्ताह हेतु कृषि प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:-

- खरीफ फसलों की बुवाई हेतु शोधित बीज का ही प्रयोग करें।
- सरकार की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत “श्री अन्न” जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावां, कोदों आदि की खेती को महत्ता दी जाय। इन फसलों की खेती से मौसम के कुप्रभाव से भी बचाव किया जा सकता है।
- मानसून ऋतु में प्रदेश में तड़ित झंझावात के साथ वज्रपात की संभावना अधिक होती है अतः सभी किसान भाई इसकी समय से पूर्व चेतावनी प्राप्त करने के लिये अपने मोबाईल में दामिनी तथा सचेत ऐप डाऊनलोड करें तथा इसके द्वारा प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक सावधानी बरतें, जिससे जान माल के नुकसान से बचा जा सकें।
- लता वाली सब्जियों की खेती मचान पर करें।
- दलहनी एवं तिलहनी फसलों में जल भराव न होने दें, जल निकास का उचित प्रबन्ध करें।
- विलम्ब से धान की रोपाई करने पर अधिक अवधि वाली पौध (30-35 दिन) की रोपाई 2-3 पौध प्रति पुंज के स्थान पर 3-4 पौध की रोपाई प्रति पुंज करें। विशेष रूप से ऊसर एवं क्षारीय भूमियों में 3-4 पौध की रोपाई प्रति पुंज करें।
- रोपाई किये गये धान में 20 से 25 दिन पर प्रथम बार यूरिया की टापड्रेसिंग एवं जिंक की कमी होने पर 20 से 25 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट का प्रयोग यूरिया के साथ मिलाकर करें।
- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई श्रोतों का समुचित उपयोग करते हुये जीवन रक्षक सिंचाई करें।
- फलदार पौधों के बाग लगायें।
- वृक्षारोपण हेतु मौसम अनुकूल है अतः वृक्षारोपण करें। प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में कृषि विभाग द्वारा 250.73 लाख पौधे लगाये जाने का लक्ष्य है। अतः सभी किसान भाई-बहन अपने प्रक्षेत्रों में तथा अनुपयोगी भूमि में वृक्षारोपण कर इस कार्यक्रम को सफल बनायें।
- वर्तमान में गलाघोंटू बीमारी का टीकाकरण निःशुल्क लगाया जा रहा है जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। यह सुविधा पशुचिकित्सालयों पर निःशुल्क उपलब्ध है।
- खुरपका एवं मुहपका (एफ.एम.डी.) बीमारी का टीकाकरण 15 जुलाई से 30 अगस्त तक 60 जनपदों में निःशुल्क किया जा रहा है। इसके लिये दवाईयां पशु चिकित्सालयों पर निःशुल्क उपलब्ध हैं।
- कतला, रोहू, नैन, सिल्वर कार्प एवं ग्रास कार्प मत्स्य प्रजातियों का मत्स्य बीज वर्तमान में उ.प्र. मत्स्य विकास निगम व निजी क्षेत्र की हैचरियों पर उपलब्ध है। अतः मत्स्य पालक जनपदीय कार्यालय से सम्पर्क कर मत्स्य बीज संचय करायें।

धान की खेती

- बासमती धान की पूसा-1509, पूसा बासमती-1, पूसा-1121, पूसा-1692 आदि प्रजातियों को पश्चिमी उ.प्र. में जुलाई के अंतिम सप्ताह व पूर्वी उ.प्र. में अगस्त के प्रथम पक्ष में रोपाई करें जिससे दाने की गुणवत्ता व सुगन्ध का विकास अच्छी तरह से हो सके। 20 X 15 से.मी. की दूरी पर 2 से 3 पौध की रोपाई करें। बासमती प्रजातियों में लगने वाले बकानी रोग से बचाव हेतु कार्बेन्डाजिम के 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से पौध को उपचारित करके रोपाई करें अथवा खड़ी फसल में छिड़काव करें।
- धान की रोपाई के बाद जो पौधे गल गये हो उनके स्थान पर तीन से पाँच दिन के अन्दर दूसरे पौधों को तुरन्त लगा दें ताकि प्रति इकाई पौध सुनिश्चित की जा सके।
- ऊसर एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रोपाई 30 दिन की पौध होने पर ही करें।
- धान की “डबल रोपाई या सण्डा प्लान्टिंग” हेतु तीन सप्ताह की अवधि के पौधों की प्रथम रोपाई 20 X 10 से. मी. की दूरी पर करना सुनिश्चित करें।
- जून के प्रथम सप्ताह में बोये गये धान की सीधी बुवाई में खरपतवार की निराई करें।
- रोपाई के उपरान्त संकरी व चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों के नियन्त्रण हेतु ब्यूटाक्लोर 50 प्रतिशत ई. सी. 3-4 लीटर अथवा एनिलोफास 30 प्रतिशत ई.सी. 1.5 लीटर अथवा प्रोटिलाक्लोर 50 प्रतिशत ई.सी. 1.60 लीटर मात्रा प्रति हे. अथवा पाइराइजोसल्फ्यूरीन इथाइल 10 प्रतिशत डबलू. पी. 0.15 कि.ग्रा. का लगभग 500 ली. पानी में घोलकर फ्लैटफैन नॉजिल से खेत में 2 इंच भरे पानी में रोपाई के 2-3 दिन के अन्दर छिड़काव करें।

- खरपतवार नियंत्रण हेतु रोपाई के 18 से 21 दिन पर विसपाइरीबैक सोडियम 10 प्रतिशत ए.सी. 0.20 लीटर प्रति हे. की दर से नमी की स्थिति में लगभग 500-700 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन नाजिल से छिड़काव करें।
- रोपाई किये गये धान में 20 से 25 दिन पर प्रथम बार यूरिया की टापड्रेसिंग करें।
- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में दीमक व जड़ सूड़ी का प्रकोप होने पर इनके नियंत्रण हेतु क्लोरोपाईरीफॉस 20 प्रतिशत ई.सी. की 2.5 प्रति हे. की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें।

मक्का की खेती

- पूर्व में बोए गए मक्के की निराई तथा विरलीकरण के बाद मक्के में घुटने के बराबर (30-35 दिन पर) पौधों की ऊंचाई हो जाने पर 75 कि.ग्रा./हे. यूरिया की टापड्रेसिंग करें तथा जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन 2 किग्रा./हे. की दर से बुआई के 2 दिन के अन्दर 800 ली./हे. पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
- मक्के में फाल आर्मी वर्म का प्रकोप होने पर 10 से 20 प्रतिशत क्षति की अवस्था में प्रभावी नियंत्रण हेतु क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल 18.5 प्रतिशत एस.सी. 0.4 मिली. प्रति लीटर पानी अथवा स्पाइनोसैड 0.3 मिली. प्रति लीटर पानी अथवा थायामेथाक्साॅम 12.6 प्रतिशत+लैम्ब्डासाइहैलोथिन 9.5 प्रतिशत 0.5 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये।

श्री अन्न की खेती

- ज्वार की संस्तुत संकुल प्रजातियों यथा वर्षा, सी.एस.वी.-13, सी.एस.वी.-15, एस.पी.बी.-1388 (बुन्देला), विजेता तथा संकर प्रजातियों सी.एस.एच.-16, सी.एस.एच.-9, सी.एस.एच.-14, सी.एस.एच.-18, सी.एस.एच.-13 व सी.एस.एच.-23 की बुवाई करें।
- बाजरा की उन्नतशील संकुल किस्मों यथा धनशक्ति, आई.सी.एम.बी.-155, डब्लू.सी.सी.-75, न.दे.पफ.बी.-3 (नरेन्द्र चारा बाजरा-3), राज-171 तथा संकुल किस्मों 86 एम. 84, आई.सी.एम.एच.-451, पूसा-322 तथा पूसा-23 की बुवाई करें।
- सावा की संस्तुत प्रजातियों यथा आई.पी.-149, यू.पी.टी.-8, आई.पी.एम.-97, आई.पी.एम.-100, आई.पी.एम.-148 व आई.पी.एम.-151 की बुआई करें।
- कोदों की संस्तुत प्रजातियों जे.के.-6, जे.के.-62, जे.के.-2, ए.पी.के.-1, जी.पी.वी.के.-3 की बुआई करें।

अरहर की खेती

- अरहर की अधिक उपज हेतु देर से पकने वाली उन्नतशील किस्मों यथा नरेन्द्र अरहर 2, मालवीय चमत्कार, राजेन्द्र अरहर-2, मालवीय विकास, पूसा 9, आजाद, नरेन्द्र अरहर 1, अमर, बहार, आई.पी.ए.-206, पूसा अरहर 151 तथा आई.पी.ए.-15-2 की बुवाई मेढों पर यथाशीघ्र समाप्त करें।
- बीजों को बुआई से पूर्व यदि बीज शोधित न हो तो एक किग्रा. बीज को 2 ग्रा. थीरम, एक ग्राम कार्बेन्डाजिम अथवा 4 ग्राम ट्राईकोडर्मा + 1 ग्राम कार्बाक्विसन से उपचारित करें। बुआई से पहले बीजों को अरहर के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें।

उर्द एवं मूंग की खेती

- उर्द की किस्मों आजाद उर्द-1, आजाद उर्द-2 (हरा दाना), शेखर-1, शेखर-2, आई.पी.यू.-94-1 (उत्तरा), टा-27 तथा टा-65, आईपीयू 11-02, आईपीयू 13-1, पंत उर्द-9, पंत उर्द-8, पंत उर्द-12 एवं मूंग की किस्मों नरेन्द्र मूंग-1, सम्राट, मालवीय जन चेतना, टी.एम.-9937, मालवीय जन कल्याणी, एम.एच.-215, आई.पी.एम. 2-3, श्वेता, स्वाति, विराट, आई.पी.एम. 2-14, आजाद मूंग-1, पूसा 14-31, मेहा 99-125, वर्षा, कनिका की बुवाई करें।
- यदि बीज शोधित न हो तो बीज को 1 ग्राम कार्बेन्डाजिम अथवा 2.0 ग्रा. थीरम से प्रति कि.ग्रा. की दर से शोधित करने के बाद उर्द/मूंग के राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 कि.ग्रा. बीज का उपचार करें।

लोबिया की खेती

- लोबिया की उन्नतशील किस्मों यथा पंत लोबिया-5, पंत लोबिया-3, पंत लोबिया-4, आर-101, जी.सी.-3 तथा आर-9 की बुवाई करें।

तिल की खेती

- तिल की उन्नत किस्मों यथा गुजरात तिल-6, आर.टी.-346, आर.टी.-351, तरुण, प्रगति, शेखर, टा-78, टा-13, टा-12 तथा टा-4 बुवाई करें।

मूंगफली की खेती

- जिन कृषकों ने मूंगफली की उन्नत किस्मों यथा जी.जे.जी.-9, जी.जे.जी.-31, दिव्या (सीएसएमजी-2003-19), अम्बर (सीएसएमजी-84-1), चित्रा (एम.ए.-10), कौशल, टी.जी.-37ए, टा-64, टा-28 तथा प्रकाश की बुवाई अभी तक नहीं की है वह यथाशीघ्र बुवाई समाप्त करें।

- बुआई से पूर्व यदि बीज शोधित न हो तो एक किग्रा. बीज को 2 ग्रा. थीरम, एक ग्राम कार्बेन्डाजिम अथवा 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा + 1 ग्राम कार्बाक्सिन से उपचारित करें। बुआई से पहले हर बीज को मूंगफली के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें।

गन्ना की खेती

- शरदकाल में बोये गये गन्ने को मानसून में गिरने से बचाने के लिये गन्ने की बघाई करें तथा गन्ने की जड़ों पर मिट्टी चढ़ायें।
- प्रथम बघाई हेतु गन्ना जब लगभग 5 फुट का हो जाये तो 2 फुट की ऊँचाई पर गन्ने की लाइनों में प्रत्येक क्लम्प को नीचे की सूखी पत्तियों से बांध दें।
- खेत में अत्यधिक जलभराव की स्थिति में जल निकास की व्यवस्था करें।
- जिन कृषकों ने अभी तक गन्ने की अंतिम टापड्रेसिंग नहीं की है वह 75 कि.ग्रा./हे. यूरिया से टापड्रेसिंग करें।
- गन्ने में पाईरीला का प्रकोप होने पर अंड समूहों को निकाल कर नष्ट कर देना चाहिये। फसल वातावरण में पाईरीला कीट के परजीवी एपिरीकेनिया मेलोनोलूका को संरक्षण प्रदान करना चाहिये। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्यूनालफॉस 25 प्रतिशत ई.सी. 2 लीटर/हे. 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर अथवा क्लोरपाईरीफास 20 प्रतिशत ई.सी. 1.5 लीटर/हे. 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिये।
- पोक्का बोइंग रोग के नियंत्रण हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 0.2 प्रतिशत अथवा कार्बेन्डाजिम 0.1 प्रतिशत का घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़काव करें।
- लालसड़न रोग के लक्षण गन्ने की पत्तियों की मध्य शिरा के पिछले भाग पर दिखने पर पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। उखाड़े गये स्थान पर थायोफिनेट मिथाइल 0.2 प्रतिशत की ड्रेसिंग करें।
- चूसक कीटों से बचाव हेतु प्रोफेनोफॉस 40 प्रतिशत+साईपर 4 प्रतिशत की 750 एम.एल. मात्रा को 625 ली. पानी में घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़काव करें।
- गन्ने में चोटीबेधक तथा तनाबेधक कीट का प्रकोप होने पर कार्बोफ्यूथ्रान 3 प्रतिशत दानेदार 30 कि.ग्रा. प्रति हे. की दर से पौधों की जड़ों के पास समुचित नमी की दशा में प्रयोग करें।

सब्जियों की खेती

- खरीफ फसल की बुवाई न की हो तो खीरा, ककड़ी, लोबिया, करेला, लौकी, तुरई, पेठा, भिण्डी, चौलाई और मूली की बुवाई कर सकते हैं।
- फूलगोभी की अगेती किस्मों अर्ली कुवारी, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पंत गोभी-3, पूसा दीपाली आदि किस्मों का 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हे. की दर से नर्सरी तैयार करें।
- भिण्डी की खरीफ (वर्षा ऋतु में) के मौसम में बुवाई अभी भी समय है। इसकी बीज दर 10-12 कि.ग्रा. प्रति हे. तथा संकर किस्मों के लिये 5-8 कि.ग्रा. बीज पर्याप्त है।
- खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिये पौधशाला में खरीफ प्याज की बुवाई करायें, एक हेक्टेयर प्याज की फसल के लिये 8-10 कि.ग्रा. बीज पर्याप्त होता है।
- खरीफ ऋतु की अगेती सब्जियों के बीज को ट्राइकोडर्मा पाऊडर 5 से 6 ग्रा. प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित करके बुवाई करें।
- बैंगन की फसल को तना और फलबेधक कीट से बचाव के लिये क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल रसायन की 1.0 मिली. मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।

बागवानी

- आम एवं अमरुद में फलमक्खी से बचाव हेतु मिथाइल यूजिनाल एवं क्यू ल्योर ट्रैप 8-10 ट्रैप प्रति हे. में 6 से 8 फुट की ऊँचाई पर टहनियों में बांध कर लटकाये तथा नीम एक्सट्रैक्ट 5 प्रतिशत प्रति लीटर पानी में घोलकर 10-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें तथा तथा 20-25 दिन के अंतराल पर ल्योर को बदलते रहना चाहिये।
- केले के नवीन बाग लगाने हेतु ऊतक संवर्धित रोगरोधी जी-9 प्रजाति लगायें।
- केले में एक तलवार पुत्ती को छोड़ते हुये शेष पुत्तियों की कटाई करें तथा फल वाले पौधों में स्टेकिंग (सहारा) दें।
- फलों के बाग में जल निकास कर उचित व्यवस्था करें तथा जिन किसान भाईयों को आम, अमरुद, लीची, आंवला, कटहल, नींबू, जामुन, बेर, केला, पपीता के पौधों के नये बाग लगाने है उनका रोपण करें।
- नींबू में कैंकर रोग से बचाव हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 3 ग्राम अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 600 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

पशुपालन

- वर्तमान में वर्षा ऋतु को देखते हुये गर्मियों के पंखों में किल्ली (टिक्स) आदि न पड़े इसका ध्यान रखें, शेडों में कहीं से भी पानी न प्रवेश करे जिससे बिछावन गीला न हो।

- पशुओं को आवश्यकतानुसार साफ पानी पिलायें। पशुओं को तालाब के गड्ढों में एकत्रित पानी न पिलायें अन्यथा आंतरिक परजीवी की संभावना बढ़ जायेगी।
- पशुओं को हरा चारा खिलाते समय यह ध्यान रखें कि चारा हमेशा धोकर खिलायें जिससे मिट्टी के साथ आंतरिक परजीवी के अंडे अथवा लार्वा भी जाने की संभावना अधिक होती है।
- खरीफ चारा फसलों की बुवाई का समय है अतः सभी पशुपालक/कृषक खेत की अच्छी तैयारी कर उन्नतशील किस्म के चारा बीज की बुवाई करायें।
- कृषकों/पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी कृषक/पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नं.-1962 पर सम्पर्क पर योजना का लाभ ले सकते हैं।

मत्स्य पालन

- मछलियों में वृद्धि हेतु पूरक आहार का प्रयोग मछलियों के वजन के 1 से 2 प्रतिशत तक किया जाय। मछलियों को निश्चित समय पर भोजन दिया जाय।
- जलाशय/नदियों में 31 अगस्त तक शिकारमाही प्रतिबंधित है।
- बरसात के मौसम में तालाब के जलीय पौधों का उन्मूलन करना आवश्यक है। यह पौधे तालाब में उपलब्ध पोषक तत्वों को शोषण करते हैं और मछलियों को मुक्त कराते हैं।
- तालाब की मिट्टी की अम्लीयता की निगरानी करते रहे अधिक अम्लीयता वाली मिट्टी को गोबर (20 से 30 टन प्रति हे.) या जिप्सम 5 टन प्रति हेक्टेयर डालकर नियंत्रित करें।
- थाई मॉगुर मछली पालना प्रतिबन्धित है। इसको न पाला जाये।

रेशम

- शहतूत वृक्षारोपण/बागानों में निराई, गुड़ाई एवं घास तथा अन्य खरपतवार की सफाई के उपरांत गोबर की खाद व एन.पी.के. का प्रयोग करें।
- एरी कीटपालन कार्य माह दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ होना है इस हेतु अरण्डी बीजों का छिड़काव कर लें जिससे समय पर पत्ती प्राप्त हो सके।
- टसर रेशम कीटपालन में प्रथम क्राप अम्पतिया का कीटपालन प्रारंभ होने जा रहा है। इस हेतु समस्त आवश्यक तैयारियां यथा विशुद्धीकरण आदि की कार्यवाही तत्काल कर ली जाय।

वानिकी

- पौधशाला में अंकुरण क्यारियाँ तैयार कर आम, गुलमोहर, महुआ, कटहल, जामुन, कंजी, नीम आदि के बीजों की बुआई शीघ्र कर लें। अंकुरित पौधों को रूट ट्रेनर/थैलियों में प्रतिरोपित कर रख दें।
- वृक्षारोपण हेतु आवश्यक पौधे प्राप्त कर रोपण कार्य करें। पौधों को रोपण से पहले सावधानीपूर्वक पालीथीन से निकालें तथा पिण्डी को टूटने न दें उसके उपरांत ही रोपण करें।

अन्य विशेष

वज्रपात (आकाशीय बिजली) हेतु सुरक्षा के उपाय

क्या करें

1. पक्की छत के नीचे शरण लें। 2. यात्रा के दौरान वाहन के अंदर ही रहें। 3. खिड़कियां दरवाजे एवं बरामदों से दूर रहें। 4. बिजली के उपकरणों या तार के सम्पर्क में आने से बचें। 5. समूह में न खड़े हो बल्कि अलग अलग खड़े रहे। 6. पानी के खेत, तालाब और जलाशयों से दूर रहें। यदि आप खेत खलिहान में हैं तो पैरों के नीचे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रखें। दोनों पैरों को आपस में सटा लें एवं दोनों हाथों से कानों को बंदकर अपने सिर को जमीन की तरफ यथासंभव झुका लें तथा सिर को जमीन से न सटायें, जमीन पर कदापि न लें।

क्या न करें

1. पेड़ के नीचे न खड़े हो। 2. दीवार के सहारे टेक न लगायें। 3. बिजली व टेलीफोन के खंभों के नीचे शरण न लें। 4. नल फ्रिज व टेलीफोन आदि को न छुयें। 5. धातु से बनी वस्तुओं का प्रयोग न करें।

सर्पदंश से बचाव हेतु सुरक्षा के उपाय

क्या करें

1. पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया न करने दें। 2. व्यक्ति की घबराहट दूर करें। घबराहट से शरीर में जहर तेजी से फैलता है। 3. मरीज के घाव से छेड़-छाड़ न करें, उसे साबुन एवं पानी से धुलें। 4. घाव के आस पास से घड़ी, कड़ा, अंगूठी तुरंत उतार दें। 5. मरीज को अस्पताल ले जाय जल्दी ही एंटीवेनम दिया जाना चाहिये।

क्या न करें

1. सांप के जहर को कभी भी मुंह से चूसकर निकालने की कोशिश न करें। 2. बिना चिकित्सीय सलाह किसी भी प्रकार की दवा मरीज को न दें। 3. पीड़ित व्यक्ति के सर्पदंश वाले भाग पर किसी भी प्रकार का मलहम इत्यादि न लगायें। 4. सपेरे अथवा तांत्रिक के चक्कर में न पड़ें। सांप को मारने का प्रयास न करें।

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की अगली बैठक दिनांक 25 जुलाई, 2024 को अपराह्न 12:00 बजे आयोजित की जायेगी।

नोट:- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाइट upcar.up.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां किसान मित्र ए.आई. चैट बॉट www.kisanmitraup.ai पर भी उपलब्ध हैं। किसान भाई इस पर भी सवाल पूछ सकते हैं।
- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की संस्तुतियां कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को प्रेषित की जा रही हैं, इनसे अनुरोध है कि यदि इनके कोई सुझाव हो तो परिषद के ईमेल upcar12@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आगामी बैठकों में उनके सुझावों पर चर्चा कर संस्तुतियां दी जा सकें।

ह0

(पीयूष कुमार शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि: उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. अपर मुख्य सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा, सै. हिमगनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेंगे।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।

28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा/ सै. हिमिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
43. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
44. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
45. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
46. किसान मित्र चैट बॉट, कृषि समृद्धि टीम, कृषि विभाग, लखनऊ।
47. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
48. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।



(विनोद कुमार तिवारी)

वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राफ वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2024-25 की ग्यारहवीं बैठक
दिनांक 18 जुलाई, 2024 की उपस्थिति

1. श्री पीयूष कुमार शर्मा, सचिव, उपकार, लखनऊ।
2. डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
3. डा. विनोद कुमार तिवारी, वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उपकार, लखनऊ।
4. डा. समीर कुमार विश्वास, विभागाध्यक्ष, पादप रोग विज्ञान विभाग, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ (ऑनलाइन)।
6. डा. एस.एन. पाण्डेय, एग्रोमेट्रोलाजिस्ट/नोडल ऑफिसर, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. डा. अनिल दीक्षित, संयुक्त निदेशक प्रक्षेत्र, पशुपालन, उत्तर प्रदेश
8. श्री कुंदन सिंह, पादप रक्षा विभाग, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राफ रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
10. श्री सचिन दीक्षित, वित्त एवं लेखाधिकारी, उपकार, लखनऊ।
11. डा. सोमवीर सिंह, व्हीट ब्रीडर, सेक्शन ऑफ रबी सीरियल, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
12. श्री अमरनाथ मिश्र, सहायक प्राध्यापक (कृषि मौसम), नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
13. डा. टी.के. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी मौसम विभाग, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ (ऑनलाइन)।
14. डा. सुरेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (कीट विज्ञान विभाग), बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन)।
15. डा. दिनेश शाह, प्राध्यापक, शस्य विज्ञान एवं इंचार्ज, एग्रोमेट आबजरवेट्री, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन)।
16. श्री नीरेन्द्र कुमार, रेशम विकास अधिकारी, रेशम, उत्तर प्रदेश।
17. श्री सत्येन्द्र यादव, वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
18. श्री नेत्रपाल यादव, उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान भवन, सप्रू मार्ग लखनऊ।